30.9.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई वादवादी का दावा स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी गनपती नरेश

दावा सं0 : 108 / 2023

1. उँकार पिता सेवा धाकड निवासी तिखी का खेडा तह0 बेगूं
2. मु0 भँवरी पत्नी सेवा धाकड निवासी तिखी का खेडा तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

क्षैत्रीय वन अधिकारी महोदय, क्षैत्रीय वन कार्यालय, बेगूं तह0 बेगूं जिला चित्तौडगढ़

प्रतिवादी

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक ::– 30.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम तिखी का खेडा प0ह0 सामरियाकला तह0 बेगूं में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:–

आराजी नम्बर	रकबा
197 / 170	1.0760

यह कि वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित उक्त कृषि आराजी से लगती हुई प्रतिवादी की वन भूमि होरक वनखण्ड चंदाखेडी व पालका के खाते में दर्ज रकार्ड है जिसके आराजी नं0 169, 170 है। यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी के पास प्रतिवादी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद किया जाता है, इतना ही नही प्रतिवादी व उसके अधिनस्थों द्वारा वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि में अकारण हस्तक्षेप कर वादी को परेशान किया जाता है। इस हेतु वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी व उसके अधिनस्थों को वादी की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत कहा गया लेकिन आज तक वादी को कोई राहत नहीं मिली है।

यह कि प्रतिवादी एवं उसके अधिनस्थ अकारण जबरन वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात पर कब्जा करने पर आमादा है। यह कि प्रतिवादी के अधिनस्थों द्वारा वादी को बार बार परेशान किये जाने व वादी की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा किये जाने की धमकी देते रहने पर वादीगण द्वारा अपने विधिक सलाहाकर के मार्फत एक कानूनी सूचना पत्र दिनांक 05.02.2011 को प्रेपित कराया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया। फिर भी प्रतिवादी एवें उनके अधिनस्थों द्वारा बार बार वादीगण को परेशान किया जा रहा है, इसलिए उक्त वादपत्र प्रस्तुती की वादीगण को आवश्यकता हुई।

यह कि वादकारण प्रतिवादी व उनके अधिनस्थों द्वारा बार बार वादीगण को परेशान किये जाने के उपरान्त वादीगण द्वारा प्रतिवादी को अपने विधिक सलाहाकार के मार्फत से दिनांक 05.02.2011 को पंजीकृत सूचनापत्र प्रेपित कराया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो जाने पर भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उत्पन्न हो कर हर रोज वर्तमान है। यह वाद अंदर अवधि प्रस्तुत है। यह कि पक्षकारान न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से व वादपत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार का है।

अतः न्यायायल श्रीमान वादीगण आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:–

1– कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने किसी अधिनस्थ से वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की वाद वर्णित कृषि आराजी पर किसी प्रकार की दखल नहीं करें न ही जबरन कब्जा करने का प्रयास करावें।

2– कि वकील मेहनताना एवं खर्चा मुकदमा भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

3– कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादीगण हो दिलाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर पर बाद जॉच दर्जरजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी क्षैत्रीय वन अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि विवादित भूमि वन भूमि है जिसे राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति सं0 डी 2024 1.5 (2) रे0ए0 57 दिनांक 26.05.58 से रक्षित वन भूमि घोषित कर रखी है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य मकान बनाने के लिये व पशुपालन या अन्य किसी प्रयोजन के लिए तोडा जाना निषिद्ध किया गया है।

यह कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (3) के तहत इस भूमि पर अधिकारो की जॉच तथा अभिलेख हेतु नियमानुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति उपरोक्त समस्त निर्धारित वन बंदोबस्त की प्रक्रियाओ का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति सं0 1 (6) 26 राज0 8/74 दिनांक 01.06.1974 में इस वन खण्ड को अंतिम विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें विवादित भूमि को इस वनखण्ड की वन भूमि के रूप में सम्मिलित किया गया है।

यह कि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बंदोबस्त प्रक्रियाओ के तहत वनखण्ड में सम्मिलित भूमियो का खसरा बंदोबस्त ग्राम वाईज भी तैयार किया गया है। जिसमें भी विवादित मूल आराजी भूमि आराजी सं0 170 जो अंदर ब्लॉक में सम्मिलित किया गया है। तथा इस क्षैत्र को वन भूमि से बाहर नही रखा गया है। विवादित खसरा नं0 170 वन रेख सीमा के मध्य स्थित है ऐसी स्थिति में वादी का यह कहना कि यह कृषि भूमि है अपने आप में ही गलत प्रकट होता है। वादी का कथन गलत है कभी कोई सीमा सम्बनधी विवाद नहीं हुआ है एवं न ही प्रतिवादी द्वारा कभी कोई हस्तक्षेप किया गया है वास्तविकता यह है कि वादी का किसी भी जगह कोई कब्जा नहीं है वरन वादी वन भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। इसी गरज से यह वाद प्रस्तुत किया है जिसकी आड में वादी वन भूमि पर कब्जा करना चाहता है।

वादी से वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी न तो प्रार्थीगण से मिले एवं न ही उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत ही हुई है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात वन विभाग की होकर उस पर वन विभाग का ही कब्जा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का यह कहना कि प्रतिवादी उसका कब्जा हटाने के लिए वहा आये एवं उससे कुछ कहा अपने आप में ही गलत सिद्ध होता है। वादी का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य है।

जवाबदावा के विशेष कथन मय कांउटर क्लेम में निवेदन किया कि यह कि विवाद ग्रस्त आराजी वन खण्ड चन्दाखेडी पालका से सम्बन्धित है जिसका राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की विज्ञप्ति सं. डी 2024 1.5 (2) रे0ए0 57 दिनांक 26.05.58 से रक्षित वन घोषित करने एवं तत्पश्चात राजस्थान वन अधि0 1953 की धारा 29 (3) के तहत इस भूमि पर अधिकारी की जॉच तथा अभिलेख हेतु नियमानुसार सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति उपरोक्त समस्त निर्धारित वन बन्दोबस्त की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति सं0 1 (6))26) राज0 8/74 दिनांक 01.06.1974 में इस वन खण्ड की अंतिम विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें वाद वर्णित भूमि सहित ग्राम तिखी का खेडा का मूल आराजी नं. 169, 170 भूमि को वनखण्ड वन भूमि के रूप में सम्मिलित किये जाने से उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड मे वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने हेतु यह काउंटर क्लेम प्रस्तुत है।

यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात का आवंटन पश्चातवर्ती अवैधानिक कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से वाद वर्णित कृषि आराजीयात से वादी का नाम हटाया जाकर वन विभाग का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु यह काउंटर क्लेम प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित भूमि सहित किशनगढ की शेष भूमि विज्ञप्ति में वर्णित को वन भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

पत्रावली में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर के पश्चात निम्न लिखित तनकी पत्र तैयार किया गया :–
1– आया कि वादीगण प्रतिवादी को मौजा तिखी का खेडा प0ह0 सामरिया कला की आराजी संख्या 197/170 रकबा 1.0760 हैक्टर भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है? वादीगण
2– आया कि वाद वर्णित भूमि वन खण्ड भूमि होकर भूमि वनविभाग के नाम दर्ज होने से वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी नहीं है? प्रतिवादीगण
3– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी ऊँकार पिता सेवा धाकड, सोहनलाल पिता देवा धाकड गवाह बहादुर पिता राजु गुर्जर के प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण हेतु वादी ऊँकारलाल द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया, एवं जिरह प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिसमें वादी ने भूमि अपने खाते की होकर भूमि पर बुवाई कर रखी है के कथन को कहा है तथा वन विभाग की भूमि अलग बताते हुए उस पर वन विभाग द्वारा पेड पौधे लगा रखने की बात अपने बयानों में कहते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये। साथ ही गवाह बहादुर से मुख्य परीक्षण के वक्त अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह कर उनके बयानों को कलमबद्ध कराया गया है। प्रकरण मे वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी की साक्ष्य में रामनारायण पिता रामेश्वर जी क्षैत्रीय वन अधिकारी बेगूँ का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिनसे मुख्य परीक्षण के वक्त अधिवक्ता वादीगण द्वारा जिरह कर उनके बयान कलमबद्ध कराये गये। जिरह में प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि वादी ऊँकार लाल व भंवरी के नाम रिकार्ड दर्ज हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि आराजी संख्या 169 व 170 हमारी है। यह कहना गलत है कि हमे कोई नोटिस दिया गया हो यह मेरी जानकारी में नहीं है। प्रदर्श–7 पर ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर नहीं है व मेरे विभाग के कर्मचारी को मिली हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी मे नहीं है कि नोटिस का जवाब दिया हो। यह कहना गलत है कि वादी की जमीन लगती हुई होने के कारण हम उन्हें परेशान करते हो। वन भूमि पर पौधे लगे हुए है। इस प्रकार पत्रावली मे प्रतिवादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है तथा वादीगण की आराजी से लगती हुई वन विभाग की भूमि है, वनविभाग के अधिनस्थ कर्मचारी आए दिन वादीगण की कृषि भूमि पर जबरन दखल करते है कई बार उन्हें मना किया गया किन्तु वे नही मानते है इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पडा है, इस सम्बन्धित में वादी द्वारा वन विभाग के अधिकारी को सूचना पत्र भी इस बाबत दिया गया लेकिन उनके द्वारा उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। अतः वादीगण के वाद को स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि हमारे द्वारा वादी को कभी कोई परेशान नहीं किया गया है ना ही वादी की कोई वार्ता वन विभाग के अधिनस्थों से हुई है, वास्तविकता यह है कि आराजी संख्या 170 जो कि वन भूमि है पर वादी जबरन अपना कब्जा करना व अतिक्रमण करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निपेधाज्ञा से पावन्द करा पाने के अधिकारी नहीं है ।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादीगण द्वारा पत्रावली मे जो दस्तावेज पेश किये है उनमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा तीखी का खेडा प0ह0 सामरियाकला सम्वत 2065–2068 तक की प्रस्तुत की गई है। जिसमें दर्ज आराजी संख्या 169, 170मी.,171, 172, 173, 181/105/1, 212/174, 213/175, 214/176, 215/177, 216/179 कुल कीता–11 कुल रकबा 62.0530 हैक्टर भूमि वनखण्ड चन्दा खेडी व पालका के नाम से दर्ज अंकित हैं। प्रदर्श–2 भी नकल जमाबंदी मौजा तीखीकाखेडा की सम्वत 2065 से 2068 तक की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 197/170 रकबा 1.0760 हैक्टर बंजड भूमि के खातेदार श्री ऊँकार शान्ति भूली सुगना पिता सेवा भंवरी पत्नि सेवा धाकड सा.देह खा.ना.सं. 116, 121 दर्ज अंकित होकर जमाबंदी में नोट लगाया गया है कि ई.नं.

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 06.03.2010 से हकत्याग से खाता उँकार पिता सेवा भंवरी पत्नि सेवा धाकड के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार वादवर्णित कृषि आराजीयात के वादी खातेदार कृषक हैं।प्रदर्श–3 नक्शाट्रेस आराजी का है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा तीखीकाखेडा की सम्वत 2065 से 68 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 197/170 रकबा 1.0780 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री उँकार शान्ति भूली सुगना पिता सेवा भंवरी पत्नि सेवा धाकड सा.देह खा.ना.सं. 116, 121 दर्ज अंकित होकर जमाबंदी में नोट लगाया गया है कि ई.नं. 146 दिनांक 06.03.2010 से हकत्याग से खाता उँकार पिता सेवा भंवरी पत्नि सेवा धाकड के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।प्रदर्श–5 नक्शाट्रेस है। प्रदर्श–6 नकल पंजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80सीपीसी के नोटिस की है जो कि वादी की ओर से उनके अधिवकता द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी को दिया गया है। तथा उक्त नोटिस की भेजने व प्राप्त होने की रसीद प्रदर्श–7 है। नकल खसरा गिरदावरी की भी सम्वत 2057, 2058, 2059 की प्रस्तुत की गई है जो वक्त बहस प्रस्तुत की गई है जिसमें वर्णित आराजी संख्या 197/170 रकबा 6बीघा 13 बिस्वा भूमि में बरसी मक्की व सरसो बोये जाने का उल्लेख अंकित है यह दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया है। वन विभाग द्वारा वक्त बहस भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाए राजस्व विभाग विज्ञप्ति जयपुर मार्च 31, 1978 की प्रति प्रस्तुत की है।

इन सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन किये जाने एवं पत्रावली में उभयपक्ष की बहस पर मनन किये जाने एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में कराए गए बयानों का अवलोकन करते हुए पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नंम्बर 1 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 व प्रदर्श–4 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 197/170 रकबा 1.0760 हैक्टर भूमि के खातेदार वादीगण है, जबकि प्रदर्श–1 के अवलोकन से दर्ज वर्णित आराजीयात आराजी संख्या 169, 170मी.,171, 172, 173, 181/105/1, 212/174, 213/175, 214/176, 215/177, 216/179 कुल कीता–11 कुल रकबा 62.0530 हैक्टर भूमि वनखण्ड चन्दा खेडी व पालका के नाम से दर्ज अंकित हैं। यह बात सही है कि मूल आराजी संख्या 170 का भाग वादीगण के नाम पर है किन्तु वन विभाग के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 170मी. यानि टुकडा इस मूल आराजी का ही दर्ज है सम्पूर्ण रकबा वनविभाग के नाम पर नहीं हैं। मूल आराजी संख्या 170 का ही भाग आराजी संख्या 197/170 व आराजी संख्या 170मी. दोनो ही पास पास की भूमि है वादी की आराजी संख्या 197/170 को वनविभाग की भूमि मानते हुए प्रतिवादी वादी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से परेशान करने व दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं रखते है। वादी द्वारा वक्त बहस नकल खसरा गिरदावरी की भी प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण की कृषि आराजी पर बरसी मक्की व सरसो बोये जाते रहे है। वादी द्वारा प्रदर्श–6 नकल पंजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80सीपीसी के नोटिस की है जो कि वादी की ओर से उनके अधिवकता द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी को दिया गया है। तथा उक्त नोटिस की भेजने व प्राप्त होने की रसीद प्रदर्श–7 पेश की है, इस सूचना पत्र का कोई प्रत्युत्तर भी प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया है, प्रतिवादी ने अपने बयानो में इस नोटिस को प्राप्त नही होना बताते हुए इसकी जानकारी नहीं होना बताया है जबकि क्षैत्रीय वन अधिकारी की छाप पर रसीद ए टू बी दर्ज की गई है। सम्पूर्ण मामला वादी एवं प्रतिवादी की भूमि पर सीमांकन नहीं होने से विवाद उत्पन्न होना प्रतीत होता है। चूँकि वादीगण खातेदार है एवं प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है कि वे वादीगण की खातेदारी की भूमि पर जबरन दखलंदाजी करें या अपने अधिनस्थों से करावे। वादीगण के शांति पूर्वक कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करें ना ही अपने कर्मचारियों अधिनस्थो से करावें। वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नं0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

८– तनकी नम्बर 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी का है। पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसा ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जो यह तथ्य सिद्ध करा सके कि वादीगण प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमगण कर रहे हो, जबकि तनकी नं0 1 के निर्णय अनुसार वादीगण वाद वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार है। इस प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन से यह पाया गया है कि मूल आराजी संख्या 170मी. रकबा 5.04800 हैक्टर भूमि प्रतिवादी वनविभाग के नाम दर्ज है जो कि मूल आराजी संख्या 170 का ही टुकडा है, जबकि वादी की कृषि आराजी संख्या 197/170 वादी के खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार तनकी नं0 2 को प्रतिवादी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। तनकी नं0 2 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी अपने जिम्मे की तनकी को अपने पक्ष में निर्णित करा पाने में सफल रहे है जबकि प्रतिवादी वनविभाग अपने पक्ष की तनकी व काउन्टर क्लेम को सफल नहीं करा पाये है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। प्रतिवादी वन विभाग को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा तीखी का खेडा प0ह0 सामरिया कला की आराजी संख्या 197/170 रकबा 1.0760 हैक्टर भूमि पर न तो स्वयं न ही अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारियान से वादीगण की खातेदारी की एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजी पर किसी प्रकार से दखल नहीं करे न ही जबरन कब्जा करने का प्रयास करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 108 / 2023

1. उँकार पिता सेवा धाकड निवासी तिखी का खेडा तह0 बेगूँ
2. मु0 भॅवरी पत्नी सेवा धाकड निवासी तिखी का खेडा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

क्षैत्रीय वन अधिकारी महोदय, क्षैत्रीय वन कार्यालय, बेगूँ तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादी

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिती में वाद अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी वन विभाग को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा तीखी का खेडा प0ह0 सामरिया कला की आराजी संख्या 197 / 170 रकबा 1.0760 हैक्टर भूमि पर न तो स्वयं न ही अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारियान से वादीगण की खातेदारी की एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजी पर किसी प्रकार से दखल नहीं करे न ही बरन कब्जा करने का प्रयास करावें।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ